कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरदोई

पत्रॉकः– सी0एफ0ओ0/एफ0पी0/पेट्रोल पम्प–134/एफ0एस0–2016 दिनॉकः मई 26, 2016

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी(सं0 का0)
हरदोई

विषयः– एस्सार आयल लि0 विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ द्वारा खसरा नम्बर–184 ग्राम रैसों तहसील सण्डीला जिला हरदोई बालामऊ–सण्डीला रोड पर रिटेल आउट लेट पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 53/XX –जे0ए0–अनापत्ति /2016 दिनॉकः– 16.05.2016का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक प्रस्तुत मानचित्र एवं स्थल का अग्नि शमन सुरक्षा की दृष्टि कोण निरीक्षण/परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

ढॉचागति संरचना के सम्बन्ध में।

1.प्रस्तावित स्थल बालामऊ –सण्डीला रोड पर है।
2.प्रस्तावित रिटेल आउलेट भूमि के ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन नही गयी हैं
3. कुल भूखण्ड एरिया 1225.0वर्ग मीटर तथा प्रस्तावित ऊंचॉई 3.75 मीटर है।
4.प्रस्तावित रिटेलआउटलेट के 100 मीटर की परिधि के अन्दर अति ज्वलनशील पदार्थ का भण्डार वर्तमान में नही है।
5.प्रस्तावित रिटेलआउटलेट में प्रवेश एवं निकास प्रस्तावित है प्रत्येक की चौडाई 11.5 मीटर है जो मानक के अनुरूप है।

प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्था

प्रस्तावित आउट लेट स्थापित किये जाने के उपरान्त एवं संचालित किये जाने के पूर्व निम्न अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाना आवश्यक होगा–

1.एक अदद ए0एफ0एफ0एफ0 फोम ट्राली 50 लीटर क्षमता का प्रबन्ध किया जाना आवश्यक होगा।
2.प्रत्येक डिस्पेसिंग यूनिट पर 02ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्स0 क्षमता 09 किग्रा0क्षमता का आई0एस015683 के अनुरूप रखा जाना आवश्यक होगा।
3.जनरेटर हेतु 02 अदद आई0एस0आई0 मार्क ए0बी0सी0 एक्स0 09 किग्रा क्षमता का रखा जाना आवश्यक होगा।
4.08 अदद फायर बकेट मय स्टैण्ड अधिष्ठापन आवश्यक होगा ।
5.पर्याप्त मात्रा में बालू का रिजर्व स्टाक एवं 02 अदद बेल्चा रखा जाना आवश्यक होगा।
6.धूम्रपान निषेध की पट्टिका को लगाया जाना आवश्यक होगा।
7.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर फ्लैमप्रूफ लाइटो का ही प्रयोग किया जायेगा।
8.जनरेटर का एग्झास्ट पाइप बाहर की ओर रखेंगे तथा एग्झास्ट पाइप में स्पार्क एरेस्टर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
9.अण्डर ग्राउण्ड एमएस/एचएसडी टैंक की अर्थिंग नियमानुसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
10.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर ओ0आई0एस0डी0 मानको का एवं पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स का अनुपालन करना होगा।
11.ओवर हेड इलैक्ट्रिक लाइन व प्रस्तावित व्यवस्था के बीच की दूरी इण्डियन इलैक्ट्रिक सिटी रूल्स एवं रेगुलेशन के अनुरूप होनी चाहिए।
12.निकटतम फायर स्टेशन के टेलीफोन नम्बर को प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः एस्सार आयल लि0 द्वारा खसरा नम्बर–184 ग्राम रैसों तहसील सण्डीला जिला हरदोई , बालामऊ –सण्डीला रोड पर रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस निर्देश के साथ निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है कि रिटेल आउट लेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्था का अग्नि शमन विभाग से सत्यापन कराकर सत्यापन प्रमाण प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें

संलग्न अनुमोदित मानचित्र

(आर0एस0त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरदोई

प्रतिलिपिः– 1.एस्सार आयल लि0 द्वारा खसरा नम्बर–184 ग्राम रैसों तहसील सण्डीला जिला हरदोई रिटेल आउटलेट को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

(आर0एस0त्रिपाठी) 26/5/16
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरदोई

(आर0 एस0 त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरदोई